न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2022/293

1. बाबूलाल पुत्र श्री घासीलाल
2. धर्मेन्द्र पुत्र श्री कल्याण सहाय समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मानोता ढाणी बड़ा कुआ की तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अपीलान्टस

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र चौथू
2. श्रवण पुत्र गोविन्दा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा बसिलसिला मि.सं. 62/2021 उनवानी लक्ष्मण बनाम श्रवण व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/4/2021 के विरूद्ध

उपस्थित–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा,वकील अपीलान्ट।
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 15.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 12.04.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.5680 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.9094 हैक्टेयर के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर की चारों ओर की सीमाओं का सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 12.04.2021को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 12.04.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट्स की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि जो सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी आदेश जारी किया गया हैं। उस पर अपीलान्ट या अन्य किसी भी खातेदार के किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नही हैं। यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पडौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती हैं। परन्तु इसके संबंध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पडौसी काश्तकारों के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया ना ही अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि खातेदारों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय व मनमानी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा लाभ पहुचाने की गरज से बिना मौके पर नाप जोख किये ही केवल कागजों में ही सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने न तो प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य सीमाजोड पक्षकारों को मुकदमें में फरीक बनाया। अधिनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में केवल मात्र 07 दिवस मे ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 के पश्चिम दिशा की तरफ तथा खसरा नम्बर 19 के पूर्वी तरफ जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 20, 21 स्थित है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की सींवडोल भूमि है जो अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा स्पष्ट रूप से दस्तावेजों से सिद्ध है तथा खसरा नम्बर 18 जो अपीलान्ट संख्या 2 व उसके भाई बंधो के नाम दर्ज है, जो कि खसरा नम्बर 21 व 20 के पश्चिमी दिशा की तरफ स्थित है, जिसमें भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर मुकदमा फरीक नही बनाया है तथा केवल मात्र किसी अजनबी व्यक्ति श्रवण पुत्र गोविन्दा को ही फरीक बनाया है। जबकि श्रवण पुत्र गोविन्दा नाम का कोई खातेदार व्यक्ति ही नही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पडौसी खातेदारों को सुचना व सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना उन्हें पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को ना तो पक्षकार बनाया गया और ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया, ना ही उनकी समुचित तामील ही करवाई गई। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मानोता, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.5680 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.9094 हैक्टेयर खातेदरी भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त हैं अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हक संबंध नही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात के लगते अपीलांट की आराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बीच में मुकमिल सीमा के निशानात नही है जिससे हमेशा सीमा बाबत विवाद रहते है। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रारम्भ से ही बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मियाद बाहर अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। फिर भी किसी पडौसी काश्तकार खातेदार को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भूमि मौके के अनुसार कम या ज्यादा है तो वह राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त होने से अपीलांट्स द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किरेस्पो0 द्वारा ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थितअपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.5680 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.9094 हैक्टेयर के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर की चारों ओर की सीमाओं का सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 12.04.2021 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। जिसका वह विधिक अधिकारी भी है। फिर भी अगर किसी पक्षकार को आपत्ति है तो वह अपनी खातेदारी भूमि की विधिक प्रकिया के तहत आवेदन कर पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 12.04.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर